राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 240/2023

नथुराम दीक्षित —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासनिक), जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सर्किल चुरू, चुरू।
4. सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपमंडल सरदारशहर, चुरू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.07.2023
आदेश की दिनांक : 30.05.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.एस बिस्सा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी को फिटर—II, फिटर—I एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान श्रृंखला 950—2050, 4000—6000 (सोहन लाल माथुर के निर्णय के अनुसार 5000—8000) अपीलार्थी की सेवा को दिनांक 03.05.1982 से स्थान पर 27.06.1975 से गणना कर वेतन, पेंशन के बकाया एवं सेवानिवृति के पश्चात् संशोधित पीपीओ जारी कर समस्त पारिणामिक लाभ सहित भुगतान किया जावें।
2. अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चौकीदार के पद पर दिनांक 27.06.1973 को हुई थी। उसके पश्चात् दिनाक 08.08.1975 को अपीलार्थी को हेल्पर द्वितीय के पद पर पदोन्नति की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.04.1982 के द्वारा नियमित सहायक के रूप में शामिल कर लिया गया। विभाग द्वारा हेल्पर प्रथम के पद समाप्त कर दिये गये और अपीलार्थी को नियमित हेल्पर के पद पर आदेश दिनांक 03.04.1982 के द्वारा समायोजित कर दिया गया एवं दिनांक 03.05.1982 से अपीलार्थी को नियमित किया गया। अपीलार्थी नियमानुसार अपनी सेवाएं पूरी कर दिनांक 31.03.2013 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत हो गया है।
3. अपीलार्थी का अभिकथन है कि अपीलार्थी को द्वितीय चयनित वेतनमान 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वीकृत कर दिया गया, उसमें अपीलार्थी को वेतन

श्रृंखला 4000–6000 स्वीकृत की गई एवं उसका बेतन 4000 रूपये नियत किया गया। इसके पश्चात 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया बाया जिसमें अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 4000–6000 ही दी गई खूद अपीलार्थी को 4900 के वेतन पर नियत किया गया।

4. उसका अभिकथन है कि तृतीय चयनित वेतनमान में अपीलार्थी को उसी वेतन श्रृंखला में नहीं रखा जा सकता है और ऐसा करना नियम एवं विधि के विरूद्ध है, क्योंकि चयनित वेतनमान में बढी हुई वेतन श्रृंखला में वेतन दिया जाना आवश्यक है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल. रिट पिटिशन नं0 3631/2008 सोहन लाल माथुर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 17.11.2008 को पारित निर्णय प्रस्तुत किया।

6. उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला 4000–6000 के स्थान पर 5000–8000 स्वीकृत की जावे एवं तद्नुरूप समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने के आदेश फरमाए जायें।

7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलार्थी को रामय–समय पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सोहन लाल माथुर प्रकरण में पारित आदेश अपीलार्थी पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार परीक्षण किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पर तृतीय चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला 4000–6000 में स्वीकृत किया गया है। इसमें कोई विधि विरुद्धता अथवा अनियमितता नहीं है। अत अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाये।

8. हमने विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया तथा अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गभीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

9. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 27.06.1973 को प्रारम्भ में चौकीदार के पद पर नियुक्ति दी गई थी और नियम, 1964 के नियम–3 (3) के तहत् अर्द्धस्थाई घोषित उपरान्त उसे पम्प चालक तृतीय के पद पर एवं पम्प चालक द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। पम्प चालक द्वितीय का वेतनमान नियम, 1989 के तहत पुनर्निर्धारण कर वेतनमान

910–1520 दिया गया और पम्प चालक प्रथम 975–1720 एवं फोरमैन द्वितीय 1200–2050 एवं फोरमैन प्रथम का वेतनमान 1400–2600 प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने परिपत्र दिनाक 25.01.1992 के द्वारा 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिए जाने का प्रावधान दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में माननीय राजस्थान NO.3631/2008 सोहन लाल माधुर बनामा राज्य च अध्या में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2008 में निम्न लिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

In view of whatever said above] this petition for writ deserves acceptance and] therefore] the same is- The respondents are directed to allow selection grade to the petitioner on completion of 18 years of service as per para 5 of the notifications dated 25-1-1992 and 17-2-1998- The petitioner is declared entitled for getting the pay scale of Rs- 1400&2600 Rs-5000-8000 as second selection grade on completion of 18 years of service and the pay scale of Rs-5500- 9000 on completion of 27 years of service as the third selection grade- The entitlement as declared above is required to be executed by the respondents within a period of six months from today-

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि सोहन लाल माथुर वाले प्रकरण के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए एवं सेवा नियमों के आधार पर अपीलार्थी को 27 वर्षीय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किया जाये। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से 3 माह में सुनिश्चित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य